



2026:AHC:22755

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1477, वर्ष 2026

आस्था मिश्रा

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : आलोक कुमार तिवारी

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार तिवारी, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और ग्राम सभा की ओर से श्री आजाद राय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे पंचायत सहायक/लेखाकार-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, तथापि याचिकाकर्ता को जनवरी 2024 से आज तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रयागराज द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। उक्त प्रतिवादी, प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

3 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"